

**कृषि मंत्रालय**

**मांग संख्या 2**

**कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	2461.44	2048.31	4509.75	3415.00	2314.17	5729.17	2600.00	2281.08	4881.08	3415.00	2429.39	5844.39	
पूँजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़	<b>2461.44</b>	<b>2048.31</b>	<b>4509.75</b>	<b>3415.00</b>	<b>2314.17</b>	<b>5729.17</b>	<b>2600.00</b>	<b>2281.08</b>	<b>4881.08</b>	<b>3415.00</b>	<b>2429.39</b>	<b>5844.39</b>	
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	3.57	3.57	...	4.90	4.90	...	4.90	4.90	...	5.81	5.81
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को													
कृषि अनुसंधान और शिक्षा संबंधी अदायगियां (आईसीएआर)													
2. फसल कार्य													
2.01 कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अंतर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगियां	2415	...	0.50	0.50	...	0.25	0.25	...	0.70	0.70	...	0.50	0.50
2.02 फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम													
2.02.01 फसल विज्ञान	2415	410.00	621.87	1031.87	453.00	694.79	1147.79	365.00	682.93	1047.93	458.00	737.04	1195.04
2.02.02 बागवानी	2415	145.00	242.33	387.33	186.00	269.91	455.91	143.00	269.40	412.40	200.00	290.96	490.96
2.02.03 कृषि विस्तार	2415	450.00	3.90	453.90	462.00	4.05	466.05	476.00	3.53	479.53	542.00	3.75	545.75
2.02.04 कृषि शिक्षा													
2.02.04.01 कृषि शिक्षा	2415	546.00	46.54	592.54	455.00	55.39	510.39	390.00	46.53	436.53	530.00	54.12	584.12
2.02.04.02 सामाजिक तथा ढांचागत विकास निधि से पूर्ति की गयी राशि को घटाकर	2415	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल		<b>546.00</b>	<b>46.54</b>	<b>592.54</b>	<b>455.00</b>	<b>55.39</b>	<b>510.39</b>	<b>390.00</b>	<b>46.53</b>	<b>436.53</b>	<b>530.00</b>	<b>54.12</b>	<b>584.12</b>
2.02.05 आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंध	2415	3.50	32.87	36.37	10.00	38.02	48.02	6.00	33.10	39.10	30.00	37.28	67.28
2.02.06 कृषि इंजीनियरिंग	2415	52.00	79.50	131.50	72.00	92.24	164.24	50.00	91.11	141.11	82.00	96.01	178.01
2.02.07 आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन	2415	96.00	141.94	237.94	395.00	121.31	516.31	100.00	125.02	225.02	400.00	130.30	530.30
2.02.08 कृषि में मूल, कार्ययोजना और सीमांत एप्लीकेशन अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि	2415	55.00	...	55.00	75.00	...	75.00	110.00	...	110.00	121.00	...	121.00
2.02.09 राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष	2415	150.00	...	150.00	385.00	...	385.00	223.00	...	223.00	99.00	...	99.00
जोड़- फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम		<b>1907.50</b>	<b>1168.95</b>	<b>3076.45</b>	<b>2493.00</b>	<b>1275.71</b>	<b>3768.71</b>	<b>1863.00</b>	<b>1251.62</b>	<b>3114.62</b>	<b>2462.00</b>	<b>1349.46</b>	<b>3811.46</b>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
जोड़- फसल कार्य	1907.50	1169.45	3076.95	2493.00	1275.96	3768.96	1863.00	1252.32	3115.32	2462.00	1349.96	3811.96	
3. मृदा और जल संरक्षण													
3.01 मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान	2415	3.00	32.54	35.54	...	...	...	...	...	...	...	...	
3.02 कृषि वानिकी अनुसंधान सहित अन्य एन.आर.एम. संस्थान	2415	182.00	256.77	438.77	175.00	324.54	499.54	160.00	320.42	480.42	200.00	347.64	547.64
3.03 कृषि के अनुरूप जलवायु संबंधी पहल	2415	75.00	...	75.00	80.00	...	80.00	65.00	...	65.00	95.00	...	95.00
जोड़- मृदा और जल संरक्षण	260.00	289.31	549.31	255.00	324.54	579.54	225.00	320.42	545.42	295.00	347.64	642.64	
4. पशुपालन	2415	194.00	414.65	608.65	205.00	465.60	670.60	179.98	465.50	645.48	215.00	477.73	692.73
5. मात्स्यिकी	2415	69.00	217.99	286.99	80.00	238.34	318.34	67.00	232.46	299.46	92.00	242.82	334.82
6. राष्ट्रीय बायोट्रिक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान	2415	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7. भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान	2415	2.00	...	2.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-कृषि अनुसंधान और शिक्षा संबंधी अदायगियां (आईसीएआर)</b>	<b>2433.50</b>	<b>2091.40</b>	<b>4524.90</b>	<b>3033.00</b>	<b>2304.44</b>	<b>5337.44</b>	<b>2334.98</b>	<b>2270.70</b>	<b>4605.68</b>	<b>3064.00</b>	<b>2418.15</b>	<b>5482.15</b>	
8. राष्ट्रमंडल कृषि ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शी समूह तथा एशिया प्रशान्त कृषि अनुसंधान संस्थान एसोसिएशन को अंशदान	2415	85.59	4.58	90.17	...	4.83	4.83	...	5.48	5.48	...	5.43	5.43
9. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुदेलखण्ड	2415	...	...	...	50.00	...	50.00	0.01	...	0.01	10.00	...	10.00
10. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार	2415	...	...	...	30.00	...	30.00	0.01	...	0.01	10.00	...	10.00
11. पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	302.00	...	302.00	265.00	...	265.00	331.00	...	331.00
<b>जोड़-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को</b>	<b>2519.09</b>	<b>2095.98</b>	<b>4615.07</b>	<b>3415.00</b>	<b>2309.27</b>	<b>5724.27</b>	<b>2600.00</b>	<b>2276.18</b>	<b>4876.18</b>	<b>3415.00</b>	<b>2423.58</b>	<b>5838.58</b>	
12. वास्तविक वसूलियां	2415	-57.65	-51.24	-108.89	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>2461.44</b>	<b>2048.31</b>	<b>4509.75</b>	<b>3415.00</b>	<b>2314.17</b>	<b>5729.17</b>	<b>2600.00</b>	<b>2281.08</b>	<b>4881.08</b>	<b>3415.00</b>	<b>2429.39</b>	<b>5844.39</b>	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	12415	2461.44	...	2461.44	3113.00	...	3113.00	2335.00	...	2335.00	3084.00	...	3084.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	302.00	...	302.00	265.00	...	265.00	331.00	...	331.00
<b>जोड़</b>	<b>2461.44</b>	<b>...</b>	<b>2461.44</b>	<b>3415.00</b>	<b>...</b>	<b>3415.00</b>	<b>2600.00</b>	<b>...</b>	<b>2600.00</b>	<b>3415.00</b>	<b>...</b>	<b>3415.00</b>	

A. **क. बजट आवंटन, कुल वसूलियाँ निम्नलिखित दी गई हैं ::** इस मांग में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिवालय व्यय के लिए दी गई राशि के अलावा अंतरराष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान, भा.कृ.अ.प. को दी जाने वाली अनुदान सहायता के भुगतान की राशि शामिल है जो परिषद के नियंत्रण में संचालित अनेक अनुसंधान संस्थानों तथा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना सहित अनेक अनुसंधान परियोजनाओं, स्कीमों तथा कार्यक्रमों के व्यय की पूर्ति के लिए है। इस प्रावधान में कार्यरत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भा.कृ.अ.प. को कृषि उत्पाद उपकर निधि अधिनियम, 1940 के तहत उपकर की शुद्ध आमद (नेट प्रोसिडस) का भुगतान शामिल है। परिषद द्वारा कृषि, मृदा तथा जल संरक्षण, पशु पालन, मत्स्यिकी, डेरी, वानिकी, कृषि शिक्षा तथा विस्तार के क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है।